



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड, उज्जैन-456010 (म.प्र.)

श्वेत मक्खन भण्डारण के लिए कोल्ड स्टोरेज किराये पर लेने हेतु  
अल्पकालीन ई-निविदा प्रपत्र(द्वितीय)

ई-निविदा प्रपत्र क्रमांक/उ.दु.सं./सं.सं./2018/441

दिनांक: 02.02.2018

निविदा खुलने का दिनांक— 09 फरवरी 2018

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड, उज्जैन- 456010 (म.प्र.)

फोन नं. : (0734) 2527071, Mobile No. 94259-18507, 90090-76375

E-mail : [udsplant@gmail.com](mailto:udsplant@gmail.com)

ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 500.00 (रूपये पाँच सौ मात्र)



# उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

## UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT



Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456010, Madhya Pradesh

Phone : (0734) 2527071, Mobile No. 94259-18507, 90090-76375

E-mail: [udsplant@gmail.com](mailto:udsplant@gmail.com)

G.S.T. No. 23AAAA U0051C1ZB

क्रमांक/उ.दु.सं./सं.सं./2018/441

दिनांक: 02.02.2018

### अल्पकालीन ई-निविदा सूचना(द्वितीय आमंत्रण)

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के उज्जैन के द्वारा लगभग 500 मेट्रिक टन श्वेत मक्खन  $-18^{\circ}\text{C}$  पर भण्डारण हेतु डीपफ्रीज/कोल्ड स्टोर मालिकों से आनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र निर्धारित मूल्य ऑनलाइन जमा कर मध्यप्रदेश ई-प्रोक्योरमेन्ट की वेबसाइट ([www.mpeproc.gov.in](http://www.mpeproc.gov.in))से दिनांक 03 फरवरी 2018 समय दोपहर 3:00 बजे से क्रय की जा सकती है। ई-निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ की वेबसाइट पर ([www.mpcdf.gov.in](http://www.mpcdf.gov.in)) देखा एवं पढ़ा जा सकता है। निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम दिनांक 09 फरवरी 2018 समय दोपहर 1:00 बजे तक है। ई-निविदा प्रपत्र दिनांक 09 फरवरी 2018 को दुग्ध संघ कार्यालय में दोपहर 3:00 बजे उपस्थित निविदाकार/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। जिस निविदाकार के द्वारा प्रथम ई-निविदा प्रक्रिया हेतु अमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा की गई उन्हें पुनः अमानत राशि (Physically) जमा करने की आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा प्रथम निविदा हेतु जमा की गई अमानत राशि मान्य की जायेगी, परन्तु ऑनलाईन प्रक्रिया से डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं अन्य दस्तावेज पुनः म.प्र. ई प्रोक्योरमेन्ट के पोर्टल पर अपलोड किये जाने होंगे। शेष शर्तें पूर्वानुसार रहेगी।

क्रमांक	विवरण	अनुमानित मात्रा	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र क्रय राशि
01	श्वेत मक्खन (White Butter) भण्डारण हेतु कोल्ड स्टोर किराये पर लेने हेतु	500 मेट्रिक टन	रु. 20,000.00 (रु. बीस हजार मात्र)	रु. 500.00 (रु. पाँच सौ मात्र)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,



# उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

## UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT



Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456010, Madhya Pradesh

Phone : (0734) 2527071, Mobile No. 94259-18507, 90090-76375

E-mail: [udsplant@gmail.com](mailto:udsplant@gmail.com)

G.S.T. No. 23AAAAU0051C1ZB

निविदा प्रपत्र(द्वितीय)	
निविदा कार्य – श्वेत मक्खन भंडारण के लिए कोल्ड स्टोर किराये पर लेने हेतु अल्पकालीन ई-निविदा(द्वितीय)।	
ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य	रु. 500.00 / – (अक्षरी- रूपये पाँच सौ मात्र)
1. ई-निविदा प्रपत्र ऑनलाइन विक्रय प्रारंभ जारी करने की दिनांक एवं समय।	दिनांक: 03.02.2018 दोपहर 3.00 बजे से (ई पोर्टल के माध्यम से)
2. ई-निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक: 09.02.2018 दोपहर 1.00 बजे तक (ई पोर्टल के माध्यम से)
3. ई-निविदा प्रपत्र भरने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक: 09.02.2018 दोपहर 1.30 बजे तक (ई पोर्टल के माध्यम से)
4. ई-निविदा प्रपत्र खोलने का दिनांक एवं समय	दिनांक: 09.02.2018 दोपहर 3.00 बजे (ई पोर्टल के माध्यम से)
5. ई-निविदा खुलने का स्थान	कार्यालय, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़, उज्जैन (म0प्र0) 456010
6. पत्र व्यवहार हेतु पता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़, उज्जैन (म0प्र0) 456001
7. अमानत राशि	रु. 20,000.00 (रूपये बीस हजार मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा
8. संलग्न प्रपत्र	01- परिशिष्ट- (अ), सामान्य नियम एवं शर्त 02- परिशिष्ट- (ब), निविदाकर्ता की जानकारी (आवश्यक रूप से प्रत्येक निविदाकर्ता को भरना है।) 03- परिशिष्ट- (स), श्वेत मक्खन की प्रतिकिलो प्रतिमाह भंडारण हेतु दर।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

## परिशिष्ट – अ

### नियम एवं शर्तें

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन डीपफ्रीज/कोल्ड स्टोर मालिकों से निविदा में दिये गये स्पेसिफिकेशन अनुसार श्वेत मक्खन भंडारण हेतु ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित करता है। किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के पास सुरक्षित रहेगा, जिसके संबंध में निविदाकारों को कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जावेगा।

#### **1.0 निविदा प्रस्तुतीकरण**

- 1.1 निविदायें निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित दिनांक एवं समय पर अथवा समय के पूर्व ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी होगी।
- 1.2 हस्ताक्षरकर्ता को यह स्पष्ट करना होगा कि वह :—
  - (अ) फर्म का प्रोप्राइटर है अथवा फर्म के प्रोप्राइटर का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है।
  - (ब) यदि पार्टनरशिप फर्म है ओर पार्टनर की हैसियत से हस्ताक्षर किये गये हैं, तो ऐसा किये जाने हेतु उसे अधिकार पत्र अथवा पार्टनरशिप deed में इसका उल्लेख किया गया हो।
- 1.3 निविदाकार को स्पष्ट रूप से निविदा प्रपत्र में पता, ई-मेल, दूरभाष नं., मोबाईल नं. एवं ईमेल आईडी दी जानी होगी। यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना तुरंत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, को दिया जाना होगा, ताकि परिवर्तित पते पर पत्राचार किया जा सकें।

#### **2.0 अमानत राशि**

- 2.1 निविदाकार को रुपये 20,000.00 (बीस हजार रुपये मात्र) की अमानत राशि उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के नाम से देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जाना होगा एवं ई-निविदा के साथ इसकी स्कैन कापी अपलोड करनी होगी तथा मूल डिमांड ड्राफ्ट एवं परिशिष्ट 'ब' में वांछित जानकारी भरकर दिनांक 09 फरवरी 2018 को समय दोपहर 2:30 बजे तक अनिवार्य रूप से उज्जैन दुग्ध संघ कार्यालय उज्जैन में जमा करना होगी। बिना अमानत राशि निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 2.2 प्रथम न्यूनतम दर निविदाकर्ता की जमा अमानत राशि अनुबंध पूर्ण होने पर भुगतान की जावेगी, द्वितीय न्यूनतम दर निविदाकर्ता की अमानत राशि प्रथम न्यूनतम दर निविदाकर्ता द्वारा कार्य प्रारंभ करने के उपरांत एवं असफल निविदाकर्ताओं की अमानत राशि निविदा खोलने की दिनांक से 30 कार्य दिवस में वापस की जायेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

### **3.0 बैंक ग्यारंटी**

3.1 कार्य प्रारंभ होने से एक वर्ष (कार्य प्रारंभ होने के पूर्व) तक की राशि रुपये 1,00,000.00 (रुपये एक लाख मात्र) मात्र किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक ग्यारंटी निविदाकार को जमा की जानी होगी ।

### **4.0 दर**

4.1 निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दर स्पष्ट एवं बाजार दर में परिवर्तन से परे होना चाहिये ।

4.2 निविदा में दर प्रस्तुत करते समय यह स्पष्ट किया जाना होगा कि उक्त दरें समस्त करों सहित है ।

### **5.0 भंडारण (तापक्रम भंडारण तथा निरीक्षण)**

5.1 डीपफ्रीज/कोल्ड स्टोर में मक्खन का भंडारण  $-18^{\circ}\text{C}$  सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाना होगा। परिसर में मक्खन का भंडारण तथा डीपफ्रीज/कोल्ड स्टोर की पर्याप्त स्वच्छता बरतनी होगी। मक्खन के भंडारण के पूर्व कोल्ड स्टोर को फ्यूमिगेट किया जाना होगा ।

5.2 मक्खन को स्वच्छ प्लास्टिक अथवा लकड़ी के तख्तों पर भंडारण किया जाना होगा।

5.3 मक्खन का परिवहन संघ द्वारा किया जायेगा तथा इसकी लोडिंग एवं अनलोडिंग का व्यय संघ द्वारा वहन किया जायेगा ।

5.4 डीपफ्रीज चेंबर का तापक्रम  $-18^{\circ}\text{C}$  से कम निश्चित रूप से होना चाहिये ।

5.5 यदि संघ के अधिकारियों/प्रतिनिधियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मक्खन का तापमान  $-10^{\circ}\text{C}$  सेंटीग्रेड से अधिक पाया जाता है तो इसका पंचनामा बनाया जायेगा एवं रुपये 10,000.00 (दस हजार मात्र) प्रति प्रकरण की दर से दंड निरूपित किया जायेगा तथा मक्खन के तापक्रम को निरीक्षण के सात दिवस के अंदर नियंत्रित नहीं किया जाता है तो मक्खन का पूरा स्टॉक अन्य शीतगृह में स्थानांतरित कर दिया जायेगा एवं इसके व्यय की प्रतिपूर्ति डीपफ्रीज मालिक के लंबित देयकों से की जायेगी ।

5.6 उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के प्रतिनिधियों को यह अधिकार होगा कि वे बिना किसी पूर्व सूचना के कोल्ड स्टोर/डीपफ्रीज का निरीक्षण कर सकें ।

5.7 मक्खन का भंडारण इस प्रकार किया जाना होगा कि मक्खन के बक्सों की पंक्तियों के बीच ठंडी हवा आ जा सके तथा मक्खन का नमूना सुविधापूर्ण ढंग से किया जा सके ।

5.8 मक्खन की स्टेकिंग की ऊँचाई डीपफ्रीज चेंबर में 11 बक्सों की ऊँचाई से अधिक नहीं होगा चाहिये ।

### **6.0 बीमा**

- 6.1 मक्खन का अग्नि एवं चोरी (Fire & Theft) बीमा उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जावेगा।
- 7.0 भुगतान**
- 7.1 निविदाकर्ता द्वारा निविदायें अनुमोदित दर से मासिक देयक प्रत्येक माह के अंत में प्रस्तुत किये जायेंगे।
- 7.2 भुगतान प्रत्येक माह की 10वीं, 20वीं एवं अंतिम दिनांक के अंतिम शेष के आधार पर किया जायेगा।
- 8.0 सामान्य नियम एवं शर्तें**
- 8.1 प्रथम: उक्त अनुबंध अवधि एक वर्ष हेतु रहेगी किंतु आपकी सहमति से अधिकतम दो वर्ष और कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।
- 8.2 अपूर्ण पता अथवा पहचान के कारण निरस्त हुई निविदाओं की जवाबदारी दुग्ध संघ की नहीं होगी। समयावधि में प्राप्त निविदाओं पर ही विचार किया जावेगा।
- 8.3 निविदा खुल जाने के पश्चात् निविदाकार को निविदा/दर भरने में हुई गलती के कारण निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।
- 8.4 निविदा में किये गये सुधार/ओवरराइटिंग के स्थान पर निविदाकार के हस्ताक्षर होने चाहिये।
- 8.5 निविदा के साथ इनकम टैक्स क्लीयरेंस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 8.6 दरें परिशिष्ट- (स) में ही भरी जायें। सशर्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जावेंगी।
- 8.7 एक व्यक्ति/फर्म द्वारा केवल एक ही निविदा प्रस्तुत की जावे।
- 8.8 एक व्यक्ति/फर्म द्वारा एक से अधिक अलग अलग नामों से प्रस्तुत निविदाएं स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 8.9 निविदाकार संपूर्ण निविदा का कार्य या आंशिक भाग मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन की लिखित अनुमति के बिना किसी दूसरी पार्टी को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।
- 8.10 उच्च तापक्रम पर मक्खन के भंडारण के कारण मक्खन की गुणवत्ता, अधिक एफ.एफ. ए., ईस्ट एवं मोल्ड बढ़ने की संपूर्ण जवाबदारी कोल्ड स्टोर मालिक की होगी। इस प्रकार हुई संपूर्ण हानि की वसूली डीपफ्रीज मालिक से मक्खन की तत्कालीन बाजार दर से की जावेगी एवं यह उस पर बंधनकारी होगा।
- 8.11 निविदा भरते समय निविदाकार को उसकी कोल्ड स्टोर/डीपफ्रीज संबंधी समस्त गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
- 8.12 भण्डारण के दौरान यदि भवेत् मक्खन की मात्रा में कमी होती है तो उक्त मात्रा का तत्कालीन दर से कटौती किया जावेगा।

8.13 श्वेत मक्खन का भण्डारण संयंत्र में मक्खन की अतिशेष मात्रा अनुसार किया जावेगा। एवं वापसी संघ की आव यकतानुसार की जावेगी।

## **9.0 अनुबंध का निरस्तीकरण**

9.1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ उज्जैन को यदि वह आव यक समझता है तो यह अधिकार होगा कि वह इस अनुबंध को अपने स्वयं के निर्णय से बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर सके जिसके लिये कोल्ड स्टोर मालिक किसी तरह आपत्ति नहीं उठा सकेगा।


## **10.0 विवाद की स्थिति का निराकरण**

10.1 निविदाकार के मक्खन समुचित रूप से ठंडा नहीं कर पाने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन का निर्णय अंतिम होगा एवं निविदाकार पर बंधनकारी होगा।

10.2 उपरोक्त नियम एवं शर्तों के पालन के संबंध में उत्पन्न किसी भी विवाद की स्थिति के निराकरण के संबंध में अध्यक्ष उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा।

10.3 किसी भी विवाद हेतु कार्यक्षेत्र उज्जैन रहेगा एवं विवाद सहकारी न्यायालय में निपटाये जायेंगे।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन**



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT



Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456001, Madhya Pradesh

Phone : (0734) 2527071, Mobile No. 94259-18507, 90090-76375

E-mail: [udsplant@gmail.com](mailto:udsplant@gmail.com)

G.S.T. No. 23AAAAU0051C1ZB

क्रमांक / उ.दु.सं. / सं.सं. / 2018 / 441

दिनांक: 02.02.2018

परिशिष्ट –ब

कोल्ड स्टोर का विवरण

01. कोल्ड स्टोर यूनिट का नाम : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
02. कोल्ड स्टोर यूनिट का पूर्ण पता : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
03. दूरभाष नम्बर : \_\_\_\_\_
04. फ़ैक्स नम्बर : \_\_\_\_\_
05. ई-मेल आई.डी. : \_\_\_\_\_
06. पेन नम्बर : \_\_\_\_\_  
(पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)
07. प्रोप्रायटर / प्रबंधक / पार्टनर का नाम : \_\_\_\_\_
08. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पद एवं नाम : \_\_\_\_\_
09. पंजीयन प्रमाणपत्र / लायसेंस का विवरण  
(पंजीयन प्रमाणपत्र / लायसेंस की छायाप्रति संलग्न करें)
10. जी.एस.टी. नंबर : \_\_\_\_\_
11. क्या आपकी कोल्ड स्टोर यूनिट या सहभागी फर्म को उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित / एमपीसीडीएफ या अन्य सहकारी दुग्ध संघ / म.प्र.शासन या भारत शासन द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया है ?  
हाँ / नहीं  
यदि हाँ तो कारण दें ।

हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कोल्ड स्टोर यूनिट

कोल्ड स्टोर की मोहर





# उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

## UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT



Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456010, Madhya Pradesh

Phone : (0734) 2527071, Mobile No. 94259-18507, 90090-76375

E-mail: [udsplant@gmail.com](mailto:udsplant@gmail.com)

G.S.T. No. 23AAAAU0051C1ZB

क्रमांक/उ.दु.सं./सं.सं./2018/441

दिनांक: 02.02.2018

### परिशिष्ट –स

### दर प्रपत्र

क्रमांक	विवरण	दर (प्रति किलो/प्रति माह)	
		(अंकों में)	(शब्दों में)
01	25 किलो./20 किलो पैकिंग में श्वेतमक्खन का शीतलीकरण एवं भण्डारण		
02	कर(Tax) यदि कोई हो तो		

धरोहर राशि का विवरण बैंक ड्रॉफ्ट क्रमांक \_\_\_\_\_दिनांक\_\_\_\_\_

बैंक का नाम \_\_\_\_\_

राशि (अंकों में) रुपये \_\_\_\_\_

राशि (शब्दों में) रुपये \_\_\_\_\_

हमारे द्वारा निविदा के नियम एवं शर्तें पूरी तरह से पढ़ ली गई हैं । एवं तदनुसार दरें प्रस्तुत की गई हैं ।

हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कोल्ड स्टोर यूनिट

कोल्ड स्टोर की मोहर